

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद
जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 446 / 12

संस्थापन दिनांक : 03.07.2012

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना गोहद चौराहा जिला
भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1-बृजेन्द्रसिंह पुत्र नरेन्द्रसिंह सिकरवार उम्र 30 साल
निवासी ऑफीसर कॉलोनी एस.पी.बंगला के पीछे मुरैना
थाना सिटी कोतवाली मुरैना जिला मुरैना

— अभियुक्त

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध भा.द.स.की धारा 304ए के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 23.06.12 को 18:30 बजे ग्राम जैतपुरा के होटल के पास लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. -06-एम.एफ.8527 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर कन्हैयालाल को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 23.06.12 को शाम साढ़े छः बजे फरियादी ओमप्रकाश अ0सा01 के चाचा कन्हैयालाल ओझा जैतपुरा से न्यूता खाकर वापिस अपने गांव गिंगरखी सड़क पर पैदल-पैदल जा रहे थे जब उसके चाचा होटल के सामने पहुंचे तो पीछे से ग्वालियर तरफ से एक मोटरसाइकिल एम.पी.-06-एम.एफ.8527 का चालक आरोपी बृजेन्द्रसिंह तेजी व लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाकर लाया और उसके चाचा कन्हैयालाल में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कन्हैयालाल के गंभीर चोट आई जिससे मौके पर ही कन्हैयालाल की मौत हो गयी वहां आसपास काफी लोग मौजूद थे जिन्होंने दृष्टि देखी थी और मोटरसाइकिल वाले को भागते देखा था। ओमप्रकाश अ0सा01

तथा रमेश ओझा अ0सा02 पीछे से न्यूता खाकर गांव वापिस जा रहे थे तब मौके पर आ गये थे। तत्पश्चात फरियादी ओमप्रकाश अ0सा01 की रिपोर्ट पर थाना गोहद चौराहा ने देहाती नालिसी प्र0पी-1 दर्ज की जिस पर से थाना गोहद चौराहा में अप0क्र0 121/12 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरान्त आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपी ने अपराध विवरण की विशिष्टियों को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि क्या आरोपी ने दिनांक 23.06.12 को 18:30 बजे ग्राम जैतपुरा के होटल के पास लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-06-एम.एफ.8527 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर कन्हैयालाल को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की जो अपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है ?

// विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष //

5. फरियादी ओमप्रकाश अ0सा01 ने कथन किया है कि दिनांक 17.11.14 से दो वर्ष पूर्व शाम को वह ग्राम जैतपुर से निमंत्रण खाकर अपने गांव गिंगरखी आ रहा था और उसे किसी ने बताया कि उसके चाचा कन्हैयालाल का जैतपुरा होटल के पास एक्सीडेंट हो गया है। जब वह पहुंचा तब कन्हैयालाल मृत पड़ा था उसने पुलिस को सूचना दी तब पुलिस मौके पर आई और तब देहाती नालिसी प्र0पी-1 पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर कराये। एवं नक्शा मौका प्र0पी-2 तैयार किया जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं नक्शा पंचायतनामा प्र0पी-3 मौके पर तैयार किया जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। सफीना प्र0पी-4 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर कन्हैयालाल का पोस्टमार्टम कराया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि उसके साथ रमेश अ0सा02 और नाथूराम (मृत) भी थे। इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि कन्हैयालाल उसके आगे जा रहा था तब एक अज्ञात मोटरसाइकिल चालक ने ग्वालियर की ओर से तेजी और लापरवाही व उतावलेपन से मोटरसाइकिल चलाकर कन्हैयालाल में टक्कर मार दी। प्रतिपरीक्षण में भी इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को नहीं देखा था और कथन प्र0डी-1 में भी मोटरसाइकिल द्वारा उसके समक्ष कन्हैयालाल की दुर्घटना किए जाने के तथ्य लिखाये जाने से इंकार किया है।
6. साक्षी रमेश अ0सा02 ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि कन्हैयालाल उसके पीछे आ रहा था। जिसे किसी वाहन चालक ने वाहन को तेजी से चलाकर जैतपुर होटल के सामने टक्कर मार दी जिससे कन्हैयालाल की मृत्यु हो गयी। वह भी घटनास्थल पर पहुंच गया। सफीना प्र0पी-4, नक्शा पंचायतनामा प्र0पी-3 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि मोटरसाइकिल

क्रमांक एम.पी.-06-एम.एफ.8527 थी जिसे उन्होंने रोकने का प्रयास किया परन्तु वह नहीं रुका। कथन प्र0पी-5 में भी मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-06-एम.एफ.8527 के द्वारा दुर्घटना कारित किए जाने के तथ्य लिखाये जाने से इंकार किया है।

7. साक्षी राधेश्याम अ0सा03 ने कथन किया है कि जब वह जैतपुर से अपने गांव गिंगरखी लौट रहा था तब उसे जानकारी मिली कि कन्हैयालाल का एक्सीडेंट हो गया है और वह घटनास्थल पर पहुंचा जहां कन्हैयालाल की मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस ने मौके पर आकर सफीना फार्म प्र0पी-4 व नक्शा पंचायतनामा प्र0पी-3 पर उसके हस्ताक्षर कराये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-06-एम.एफ.8527 थी जिसे उन्होंने रोकने का प्रयास किया परन्तु वह नहीं रुका इस सुझाव से भी इंकार किया है कि मोटरसाइकिल चालक ग्वालियर की तरफ से तेजी व लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाकर आया मोटरसाइकिल नंबर लिखने से भी इंकार किया है। कथन प्र0पी-6 में भी मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-06-एम.एफ.8527 के द्वारा दुर्घटना कारित किए जाने के तथ्य लिखाये जाने से इंकार किया है।
8. साक्षी धर्मनारायण अ0सा04 ने कथन किया है कि उसके गांव के लोगों ने घटना के बारे में बताया था जब वह घटनास्थल पर पहुंचा। पुलिस ने मौके पर आकर सफीना फार्म प्र0पी-4 व नक्शा पंचायतनामा प्र0पी-3 पर उसके हस्ताक्षर कराये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-06-एम.एफ.8527 थी जिसे उन्होंने रोकने का प्रयास किया परन्तु वह नहीं रुका इस सुझाव से भी इंकार किया है कि मोटरसाइकिल चालक तेजी व लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाकर आया मोटरसाइकिल नंबर देखने से भी इंकार किया है। कथन प्र0पी-7 में भी मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-06-एम.एफ.8527 के द्वारा दुर्घटना कारित किए जाने के तथ्य लिखाये जाने से इंकार किया है।
9. अतः घटना के किसी भी अभिलिखित प्रत्यक्ष साक्षी द्वारा घटना के समय आरोपी द्वारा वाहन चलाये जाने का कथन नहीं किया है और ना ही वाहन क्रमांक एम0पी0-06-एम.एफ.8527 से कन्हैयालाल की दुर्घटना होना बतायी है। साक्षी नाथूराम की मृत्यु होने के परिणामस्वरूप अभियोजन द्वारा उसे परीक्षित नहीं कराया गया है। अतः किसी भी साक्षी द्वारा यह कथन नहीं किया गया है कि आरोपी ने दुर्घटना कारित की। अभियोजन का मामला प्रत्यक्ष साक्ष्य पर निर्भर है तब किसी भी साक्षी ने स्वयं को प्रत्यक्ष साक्षी होना स्वीकार नहीं किया है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य हेतु वाहन का नंबर भी स्पष्ट नहीं हुआ है। अतः अभियोजन की साक्ष्य से यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी द्वारा ही वाहन को उपेक्षापूर्वक परिचालित कर कन्हैयालाल की दुर्घटना में मृत्यु कारित की गयी है। अतः अभियोजन अपना मामला सिद्ध करने में असफल रहता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 23.06.12 को 18:30 बजे ग्राम जैतपुरा के होटल के पास लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-06-एम.एफ.8527 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर कन्हैयालाल को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है।
10. परिणामतः आरोपी को धारा 304ए भा.द.स. के आरोप से

दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

11. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
12. प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-06-एम.एफ.8527 आवेदक राकेश की सुपुर्दगी पर है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात उन्मोचित समझा जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)